राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 226/2020

अनिता देवी पत्नी श्री बनवारी लाल पुत्री श्री सांवलराम आयु 25 वष जाति माली निवासी ढाणी सीरवाला तन बबाई हाल निवासी नंगली निर्वाणों की खड़कड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीया

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 09–03–2021**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम श्री अशोक नगर पटवार हल्का बबाई स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 15 में प्रार्थीया का नाम नानची पुत्री सांवल राम के स्थान पर अनिता पुत्री सांवल राम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 15 ग्राम श्री अशोक नगर पेश की गई तथा गवाह राकेश कुमार सैनी पुत्र रामनिवास सैनी आयु 29 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी सीरवाला व पूरणमल सैनी पुत्र काशीराम सैनी आयु 3 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी जलवाला, गाडराटा के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व श्री अशोक नगर पटवार हल्का बबाई स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 15 में प्रार्थीया का नाम नानची पुत्री सांवल राम के स्थान पर अनिता पुत्री सांवल राम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम श्री अशोक नगर पटवार हल्का बबाई स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 15 में प्रार्थीया का नाम नानची पुत्री सांवल राम के स्थान पर अनिता पुत्री सांवल राम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.03.24 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी